(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढी कराने बाबत

उपस्थितिः– 1. प्रार्थीया अनुपस्थित।
2. पैरोकार सरकार।

:: निर्णय :: दिनांक : 16.05.2023

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि :–

1. यह है कि प्रार्थीया ग्राम सिंगवाडा तहसील लवाण की रहने वाली है तथा अप्रार्थी संख्या–1 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार व अप्रार्थी संख्या–2 तहसीलदार को सीमाज्ञान के प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के फलस्वरूप पक्षकार बनाया गया है।
2. यह है कि आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 1.7100 है0, 158 रकबा 0.8200 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.5300 है0 वाके ग्राम सिंगवाडा तहसील लवाण जिल दौसा में स्थित है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया उक्त वर्णित आराजी का खातेदा

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.स.:- 03 / 2023
दायर दिनांक 13.01.2023
निर्णय दिनांक :- 16.05.2023

काविज काश्तकार दर्ज है तथा मौके पर प्रार्थीया काबिज होकर लाभान्वित होती चली आ रही है जिससे अन्य किसी का किसी भी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है।

3. यह है कि प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजीयात से लगती हुई चरागाह की भूमि है जिस पर कई अतिचारियों ने अतिक्रमण कर रखा है तथा उक्त चरागाह भूमि की आड में अतिचारी प्रार्थीया से सीमा विवाद कर प्रार्थीया की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जे की भूमि को दबाना चाहते है जिसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहते है तथा येन केन प्रकारेण प्रार्थीया की भूमि को हड़प करने की फिराक में रहते है।

4. यह कि प्रार्थीया द्वारा तहसीलदार के समक्ष एक प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान करवाये जाने प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 26.05.2005 को सीमाज्ञान के आदेश पारित फरमाए गए जिसकी पालना में दिनांक 07.06.2005 को पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा मौके र जाकर उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया गया व उक्त आराजी की सीमाए कायम कर चारो सीमाओ की जानकारी करवाई गई व मौका पर्चा तैयार कर सहमति के हस्ताक्षर करवाये गये किन्तु इसके बावजूद भी चरागाह भूमि के अतिक्रमणीयों उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे है व आये दिन सीमा विवाद कर प्रार्थीया की भूमि को दबाने की फिराक में है तथा इसी उद्वेश्य की पूर्ति में दिनांक 04.01.2023 को अतिक्रमी प्रार्थीया की उक्त आराजी में जबरन घुस गये व प्रार्थीया की उक्त वर्णित खातेदारी आराजी के कुछ भाग को जबरन से दबाकर डोल बनाने का प्रयास किया इस पर प्रार्थीया ने तुरन्त मौके पर पहुंचकर उन्हे समझाकर बडी मुश्किल से रोका किन्तु लगातार यह धमकी दे रहे है कि वह मौका मिलते ही प्रार्थीया की उक्त आराजी को दबाकर रहेगें इसलिए प्रार्थीया को अपनी उक्त किये गये सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

5. यह है कि अविलम्ब ही प्रार्थीया की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी नही करवाई गई तो मौके पर शान्ति भंग होकर भारी झगडे की स्थिति उत्पन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण.

हो जावेगी ऐसी दशा में भी उक्त आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है।

6. यह कि न्यायहित में अप्रार्थी संख्या–2 को प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी कायम करने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है ताकि मौके पर शान्ति व्यवस्था बनी है।

7. यह कि प्रार्थीया उक्त आराजी के सीमाज्ञान में होने वाले खर्च को भी वहन करने को तैयार है।

8. यह है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या–2 तहसीलदार लवाण को आदेश फरमावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 1.7100 है0, 158 रकबा 0.8200 है0 वाके ग्राम सिंगवाडा तहसील लवाण जिला दौसा का मौके पर मय टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी कर सीमाएं कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प स्थल ग्राम पंचायत सिंगवाडा में रखा गया। तहसीलदार लवाण की जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लवाण ने अपने पत्रांकः भू.अ./2023/181 दिनांक 16.05.2023 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नम्बर 157, 158 रकबा क्रमशः 1.71, 0.82 हैक्टयर कुल किता–2 कुल रकबा 2.53 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम सिंगवाडा जमाबंदी सम्वत 2076–2079 (वर्ष 2018) से स्थायी खाता संख्या 323 में शारदा देवी पत्नि राधेश्याम जाति ब्राहमण का नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त खसरा नम्बरान पर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज रिकार्ड नही है। उक्त खसरा नम्बरान की पत्थरगढ़ी के आदेश जारी किये जाते है, तो पैरोकार सरकार को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2023

प्र.सं.:– 03 / 2023
दायर दिनांक 13.01.2023
निर्णय दिनांक :– 16.05.2023

हमने तहसीलदार लवाण से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.05.2023 व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त ग्राम सिंगवाडा तहसील लवाण के आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 1.7100 है0, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.8200 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 2.5300 हैक्टयर भूमि शारदा देवी पत्नि राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का सिंगवाडा के अनुसार दिनांक 07.06.2005 को किया गया, जहाँ मौके पर पटवारी हल्का सिंगवाडाएवं खातेदार उपस्थित रहे। उक्त सीमाज्ञान के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा व अडचन दर्शित नही होने कारण, प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लवाण को आदेश दिये जाते है कि ग्राम सिंगवाडा तहसील लवाण के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076–2079 नया खाता संख्या 323 के अनुसार शारदा देवी पत्नि राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहमण सा. देह खातेदार की आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 1.7100 है0, खसरा नम्बर 158 रकबा 0.8200 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 2.5300 हैक्टयर पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो उक्त खसरा नम्बरो की पत्थरगढी करने हेतु अनुभवी पटवारियो / भू–अभिलेख निरीक्षको की टीम गठित की जाकर पत्थरगढी की जावे तथा प्रार्थीया से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार लवाण को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय दिनांक 16.05.2023 को प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प ग्राम पंचायत सिंगवाडा पर मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.23 16:32:44 IST
Reason: SelfAttested

मिथलेश मीणा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण